छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-13

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 3, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. डॉ.खूबचंद बघेल की जयंती

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्नदृष्टा डॉ.खूबचंद बघेल जी की आज पुण्य तिथि पर सदन की ओर से उन्हें नमन् किया ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 01, 02, 03, 07, 13, 14 एवं 19 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री ललित चन्द्राकर, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री अजय चन्द्राकर, श्री दलेश्वर साहू, श्री मोतीलाल साहू एवं श्री सम्पत अग्रवाल, अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 58 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3.पृच्छा

मानानीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने आसंदी का ध्यानाकर्षित करते हुए गन्ना किसानों को अभी तक प्रोत्साहन राशि एवं गन्ने की राशि का भुगतान नहीं होने विषयक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को ग्राह्य किये जाने का आग्रह किया ।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य सर्वश्री उमेश पटेल, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, देवेन्द्र यादव, ब्यास कश्यप, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री विक्रम मण्डावी, रिकेश सेन, अनुज शर्मा, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री गजेन्द्र यादव, अटल श्रीवास्तव, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री इन्द्रशाह मण्डावी, जनक ध्रुव, ओंकार साहू द्वारा विविध विषयों पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया ।

शून्यकाल में माननीय सदस्य श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल द्वारा डोंगरगढ़ में आये दिन अवैध नशे की सामग्री की बिक्री तथा स्वयं की सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों द्वारा शराब के नशे में ड्यूटी करने को लेकर तथा अपनी सुरक्षा को लेकर चिन्ता व्यक्त की।

माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में स्वयं संज्ञान लेकर कार्यवाही कराने हेतु माननीय सदस्य को आश्वस्त किया।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिला मुख्यालय से लगे गांव लालपुर में साधराम यादव की जघन्य हत्या की घटना की सी;बी.आई. से जांच कराये जाने की मांग की।

(भारतीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

4.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- मैं आप सभी सदस्यों को शून्यकाल में पूरा का पूरा समय देता हूं। मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शून्यकाल में बोलने का अवसर दूं । आपने उस विषय को पूरी गंभीरता से उठाया गया । आप कल की कार्यवाही देखेंगे तो जब माननीय मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया तो इस विषय को लेकर उन्होंने अपना विषय लिया और कवर्धा की इस घटना को भी श्री ईश्वर साहू की घटना के साथ जोड़कर जवाब दिया। अन्य विषयों पर आपकी जो भी शंका है आने वाले समय में इसको किसी न

किसी विषय में और लिया जायेगा। आपकी जो चिंता है कि कभी न कभी चर्चा हो, तो बहुत सारे अवसर हैं। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल संसदीय कार्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

(भारतीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, बघेल लखेश्वर, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा, श्री इंद्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री संदीप साहू, इन्द्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

6. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

7. सदन को सूचना
लैपटॉप का वितरण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आधुनिक संचार क्रांति को अपनाते हुए विधायी कार्यों को और अधिक तत्परता एवं शुद्धता के साथ माननीय सदस्यगण संपादित कर

सकें, इस दृष्टि से समस्त सम्माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा 'लैपटॉप' वितरित किया जावेगा। अतः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 को मध्यान्ह 12.00 बजे के पश्चात् सदन के समीप लॉबी स्थित 'सदस्य कक्ष' से स्व-हस्ताक्षर करते हुए, अपने लैपटॉप प्राप्त करें ।

(सदन की कार्यवाही 12.31 बजे स्थगित की जाकर 12.55 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य (अनुपस्थित- सूचना प्रस्तुत नहीं)

(2) श्री रामकुमार यादव, सदस्य ने जिला-सक्ती में पबिया एवं मव्वार जाति के लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने की ओर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री दिलीप लहरिया

(2) श्री ब्यास कश्यप

(3) श्री बघेल लखेश्वर

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती भावना बोहरा

(2) श्रीमती रायमुनी भगत

(3) श्री भोलाराम साहू

(4) श्रीमती संगीता सिन्हा

(5) श्रीमती चातुरी नंद

(6) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(7) श्री दिलीप लहरिया

11. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अटल श्रीवास्तव, प्रणव कुमार मरपची, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री राजेश अग्रवाल,

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री इन्द्रशाह मण्डावी, चैतराम अटामी, दिलीप लहरिया, पुरन्दर मिश्रा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री दीपेश साहू, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, धर्मजीत सिंह, श्रीमती रायमुनी भगत, श्री संपत अग्रवाल, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, प्रबोध मिंज, पुन्नूलाल मोहले, ब्यास कश्यप, भोलाराम साहू, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती गोमती साय, श्री आशाराम नेताम, श्रीमती चातुरी नंद

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राम विचार नेताम, कृषि मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-15**, आदिम जाति कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-33,** अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित **मांग संख्या-41,** अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित **मांग संख्या-42,** अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-49,** अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-53,** अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित **मांग संख्या-64,** पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास से संबंधित **मांग संख्या-66,** अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित **मांग संख्या-68,** अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-82,** अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-83,** कृषि से संबंधित **मांग संख्या-13,** कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-54,** प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-15 निरंक, **मांग संख्या-33** पर सर्वश्री बघेल लखेश्वर, इन्द्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद संदीप साहू, **मांग संख्या-41** पर श्री कुंवर सिंह निषाद, **मांग संख्या-42** निरंक, **मांग संख्या-49** पर श्री कुंवर सिंह निषाद, **मांग संख्या-53** निरंक, **मांग संख्या-64** निरंक, **मांग संख्या-66** निरंक, **मांग संख्या-68** निरंक, **मांग संख्या-82** निरंक, **मांग संख्या-83** निरंक, **मांग संख्या-13** पर श्री बघेल लखेश्वर, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री इनद्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री बालेश्वर साहू, **मांग संख्या-54** पर श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पदक्रम 4 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री नीलकंठ टेकाम,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री ब्यास कश्यप, धर्मजीत सिंह, इन्द्र शाह मण्डावी, श्रीमती गोमती साय, सर्वश्री बालेश्वर साहू, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती चातुरी नंद, श्री गजेन्द्र यादव,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री चैतराम अटामी, प्रबोध मिंज, कुंवर सिंह निषाद, सुशांत शुक्ला, श्रीमती रायमुनी भगत, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, धरमलाल कौशिक, आशाराम नेताम, पुरन्दर मिश्रा

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 9.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-4, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा